GOVERNMENT OF INDIA/ भारत सरकार

MINISTRY OF RAILWAYS/ रेल मंत्रालय

(RAILWAY BOARD)

RBE No. 143/2000

No. E(P&A)I-2000/CPC/LE-3 New Delhi, Dated: 1.8.2000

The GMs/CAO(R)s/OSDs
All Indian Rlys &Prod Units etc.
(As per mailing list).

Sub: Simplification of rules and procedures relating to Leave Rules - Chapter V of the Indian Railway Establishment Code Volume I, 1985 Edition. (Reprint – Edition,1995)

Ref: Board's letters of even number dated 15.3.2000 and No. E(P&A)I-99/CPC/LE-1 dated 1.7.99.

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President is pleased to direct that Rule 523(1) of the Indian Railway Establishment Code, Volume-I, 1985 edition (Reprint Edition - 1995) may be amended as in the enclosed advance correction slip No.- 78

2. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

3. Kindly acknowledge receipt.

DA: Correction Slip

(K.J. Abraham)
Joint Director Establishment (P&A),Railway Board.

No. E(P&A)I-2000/CPC/LE-3 New Delhi, Dated: 1.8.2000

Copy forwarded to the FA&CAOs, All Indian Railways etc.

DA: Correction Slip

(K.J. Abraham)
Joint Director Establishment (P&A), Railway Board.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

आरबीई सं. 143/2000

सं0 ई(पीएंडए)1-2000/सीपीसी/एलई-3

नई दिल्ली, ता0 1.8.2000

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर)/
विशेष कार्य अधिकारी,
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं
उत्पादन इकाइयां इत्यादि.
(डाक सूची के अनुसार).

विषय:- भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द-1, 1985 संस्करण (पुनर्मुद्रण संस्करण 1995) का अध्याय V - छुट्टी नियमों से संबंधित नियमों और कार्यविधियों का सरलीकरण. (पुनर्मुद्रण संस्करण

.....

संदर्भ :- बोर्ड का दिनांक 15.3.2000 का समसंख्यक पत्र एवं दिनांक 1.7.99 का पत्र सं. ई(पीएंडए)1-99/सीपीसी/एलई-1.

.....

संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द-1 1985 संस्करण (पुनर्मुद्रण संस्करण-1995) के नियम 523(1) को संलग्न अग्रिम शुद्धि पर्ची सं....78.....के अनुसार संशोधित करने का निदेश देते हैं.

2. यह रेल मंत्रालय की वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है.

3. कृपया पावती दें.

संलग्नक : शुद्धि पर्ची

(के.जे.अब्राहम)
संयुक्त निदेशक, स्थापना (वेतन एवं भत्ते)
रेलवे बोर्ड

....2/-

2/-

No. E(P&A)I-2000/CPC/LE-3 New Delhi, Dated: 1.8.2000

Copy forwarded to the Federations etc.(As per standard mailing list No. III)

DA: Correction Slip

For Secretary, Railway Board.

No. E(P&A)I-2000/CPC/LE-3 New Delhi, Dated: 1.8.2000

Copy, with 40 spares, forwarded the DAI (Railways), New Delhi.

DA: Correction Slip

For Financial Commissioner/Rlys.

Copy to :-

PPSs/PSs/PAs to CRB, FC, MS, ME, ML, MM, AM(S), AM(F), & Secretary, EDPC-I&II, EDE, ED(E&R), EDF(B), EDE(N), EDE(IR), EDPGDF(E), DPC, JDE(P&A), JDE(L), JDE(D&A), JDE(G), JDPC-I & II, JS(G), JS(E), DS(E), US(A), DDF(E)III, DE(LR) I, II & III.

E(P&A)II, PC-III, PC-IV & V, ERB-I,II,III,IV,V & D, E(O)I,II,III & E(O)III/CC, CASH-I,II & III, E(G) with five spares, E(GC), E(GP), Budget Br., F(E)I,II,III (with 5 spares) &Spl., A/Cs III (with 10 spares), Accounts Inspection Cell (with three spares), E(W), E(NG)I & II, E(D&A), E(Rep)I,II & III, Code Revision Cell, (with 3 spares) Branches of Railway Board.

सं0ई§पीएंडए§1-2000/सीपीसी/एलई-3 नई दिल्ली, ता0 1.8.2000

प्रतिलिपि वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, सभी क्षेत्रीय रेलों इत्यादि को अग्रेषित.

संलग्नक : शुद्धि पर्ची

§के.जे.अब्राहम§
संयुक्त निदेशक,स्थापना§वेतन एवं भत्ते§
रेलवे बोर्ड

सं0ई§पीएंडए§1-2000/सीपीसी/एलई-3 नई दिल्ली, ता0 1.8.2000

प्रतिलिपि फेडेरेशनों आदि को अग्रेषित §मानक डाक सूची सं.III के अनुसार§

संलग्नक : शुद्धि पर्ची

कृते सचिव, रेलवे बोर्ड

सं0ई§पीएंडए§1-2000/सीपीसी/एलई-3 नई दिल्ली, ता0 1.8.2000

प्रतिलिपि §40 अतिरिक्त प्रतिलिपियों सहित§ डीएआई§रेलें§, नई दिल्ली को अग्रेषित.

संलग्नक : शुद्धि पर्ची

एस0श्रीराम
कृते वित्त आयुक्त/रेलें

प्रतिलिपि:-

अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, वित्त आयुक्त, सदस्य कार्मिक, सदस्य इंजीनियरी, सदस्य बिजली, सदस्य यांत्रिक के प्रमुख निजी सचिव एवं अन्य.

ADVANCE CORRECTION SLIP TO THE INDIAN RAILWAY ESTABLISHMENT CODE, VOLUME –I, 1985 EDITION (REPRINT EDITION – 1995)

Advance Correction Slip No. 78

Rule 523 – Leave on Average Pay.

A new sub Rule 523 (1) (d) may be inserted below 523(1) (c)

The following procedure for crediting LAP on 1st Jan./1st July w.e.f. 01.07.1997 in respect of Railway employees may be adopted:-

(i) In case of Railway employees, having at their credit Leave on Average Pay of 285 days or less as on 1st January/1st July of a year, LAP of 15 days or proportionately less in respect of retiring persons or those leaving service during the next half year may continue to be credited to their leave account in advance as at present.

(ii) In cases where the Leave on Average Pay at credit as on 1st January/1st July is 300 days or less but more than 285 days, credit of LAP for 15 days may be kept separately and first adjusted against any LAP that the Railway servant may take during the ensuing half year and the balance, if any, credited to the LAP account at the close of the half year subject to the ceiling of 300 days. If the LAP taken during the half year is more than 15 days the amount in excess of 15 days will, however, have to be debited to the leave account.

(Authority Board's letters No. E(P&A)I-99/CPC/LE-1 dated 1.7.99, E(P&A)I-2000/CPC/LE-3 dated 15.3.2000 & 1.8.2009)

भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द-1, 1985 संस्करण

§पुनर्मुद्रण संस्करण - 1995§ के लिए अग्रिम शुद्धि पर्ची

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं0 78

नियम 523 - औसत वेतन छुट्टी

उप-नियम 523§1§ §ग§ के नीचे एक नया उप-नियम 523§1§§घ§ निम्नानुसार जोड़ा जाए :-

रेलवे कर्मचारियों के छुट्टी खाते में 1 जनवरी/1 जुलाई को औसत वेतन छुट्टी जमा करने के लिए 1·7·1997 से निम्नलिखित कार्यविधि का अनुसरण किया जाए :-

§1§ ऐसे रेलवे कर्मचारियों के मामले में जिनके छुट्टी खाते में यदि किसी वर्ष की 1 जनवरी/1 जुलाई को 285 दिन की या इससे कम की औसत वेतन छुट्टी जमा हैं, तब उनके छुट्टी खाते में 15 दिन की औसत वेतन छुट्टी अथवा सेवानिवृत्त होने वाले या अगले छः महीनों के दौरान सेवा छोड़ने वाले व्यक्तियों के संबंध में यथानुपात इससे कम छुट्टियाँ अग्रिम जमा की जाती रहें जैसा कि वर्तमान में किया जा रहा है·

§11§ उन मामलों में जहां कर्मचारियों के छुट्टी खाते में 1 जनवरी/1 जुलाई को 300 दिन या कम परंतु 285 दिन से अधिक औसत वेतन छुट्टी जमा है, 15 दिन की औसत वेतन छुट्टी अलग रखी जाए और इन छुट्टियों में से पहले ऐसी किसी औसत वेतन छुट्टी को कम किया जाए जो रेलवे कर्मचारी आगामी छह महीनों के दौरान ले तथा शेष छुट्टी यदि बचे तो, उक्त छमाही की समाप्ति पर कर्मचारी के औसत वेतन छुट्टी खाते में जोड़ दी जाए बशर्ते ऐसी छुट्टियों का जोड़ 300 दिन से अधिक न हो· यदि उक्त छमाही के दौरान 15 दिन से अधिक की औसत वेतन छुट्टी ली गई हो तो 15 दिन से अधिक ली गई छुट्टी उसके छुट्टी खाते में से कम कर दी जाए·

§प्राधिकार : बोर्ड का दिनांक 1·7·99 का पत्र सं·ई§पीएंडए§1-99/सीपीसी/एलई-1 एवं दिनांक 15·3·2000 और दि· 1·8·2000 का पत्र सं. ई§पीएंडए§1-2000/सीपीसी/एलई-3§